भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

राज्यर सभा

लिखित प्रश्न सं. **140** जिसका उत्तार

सोमवार, 24 नवम्बईर, 2014/3 अग्रहायण, 1936 (शक) को दिया जाना है

माल व्यारपार के लिए समुद्री मार्ग

140. **श्रीमती रेणुका चौधरी :**

क्याव **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्याह सरकार कतिपय पड़ोसी देशों के साथ माल व्यामपार हेतु समुद्री मार्ग खोलने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां , तो तत्सं बंधी ब्यौ रा क्याह है; और

(ग) सरकार द्वारा विनिर्माताओं , आयातकों और निर्यातकों के लाभार्थ तटीय माल व्या पार क्षमता में वृद्धि के लिए क्यार कदम उठाए गए हैं?

उत्तगर

पोत परिवहन राज्यर मंत्री

(श्री पोन्. राधाकृष्णतन्)

(क) और (ख) : दिनांक 3 अक्तू बर, 2014 को भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड (एस.सी.आई.) ने भारत से म्यांमार तक चेन्न ई- कृष्णाधपट्टनम- यांग्ओदन-कोलंबो के बीच रोटेशन सहित एक सेवा प्रारंभ की है। यह सेवा एकल जलयान से प्रचालित की जा रही है। इसका प्रारंभ भारत की 'लुक ईस्ट' ब('पूर्व की ओर देखों') नीति के अनुसरण से किया गया है। इस सेवा के आरंभ के साथ म्यांमार और भारत के बीच व्याईपार के लिए पारगमन समय में काफी कमी आएगी।

(ग) तटीय कार्गो व्या।पार क्षमता में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्निपलिखित शामिल हैं:-

(i) दिनांक 31.07.2013 को नौवहन महानिदेशालय द्वारा भारतीय क्षेत्र के जल के अंतर्गत प्रचालन कर रहे ऐसे जलयानों के लिए तकनीकी और मनुष्यत बल की अपेक्षाओं के मध्यनस्थ के लिए एक नदी-समुद्र जलयान (आर.एस.वी) अधिसूचना जारी की गई थी।

(ii) नौवहन महानिदेशालय ने यह घोषणा करते हुए एक आदेश जारी किया है कि तटीय व्याथपार प्रचालन की सुविधा के लिए अंतर्देशीय जलयान (iv) को सीमित कर दिया गया है।

(iii) दिनांक 04.03.2014 को नौवहन महानिदेशालय द्वारा तट से 20 मील की दूरी के भीतर प्रचालन करने वाले तटीय जलयानों के लिए तटीय शिपिंग नियम जारी किए गए हैं।

(iv) ग्रीन चैनल।

(v) बर्थिंग प्राथमिकता।

****